[redacted] **जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** [redacted]

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 1150 दि. 25.09.21

आदेश

विषयः– विद्युत चोरी एवं विद्युत दुरूपयोग से संबंधित सतर्कता जांच प्रकरणों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

प्रशासन गांवों /शहरों के संग अभियान के दौरान, उपभोक्ताओं/ गैर उपभोक्ताओं की विद्युत चोरी एवं विद्युत दुरूपयोग से संबंधित लम्बित सतर्कता जांच प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में निम्न निर्णय लिये गये है :–

1. माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम–2003 के तहत दर्ज चोरी के मामलों में की जाने वाली कार्यवाही एवं राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षण समिति के गठन के संबंध में 22–12–2020 को आदेश जारी किया है । माननीय आयोग के आदेश की अनुपालना में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा आदेश क्रमांक 1858 दिनांक 29–01–2021 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–951) जारी किया गया है । इस आदेश के अनुसार विद्युत चोरी के प्रकरणों में दर्ज मामलों को राजस्व निर्धारण पुर्नरीक्षक समिति के समक्ष प्रोविजनल राजस्व निर्धारण के नोटिस की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपये, जो भी कम हो व सम्पूर्ण प्रशमन राशि (Compounding Charges) जमा करवाकर अपील दायर किये जाने का प्रावधान किया गया है । राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन गांवों /शहरों के संग व कोविड–19 के समय असुविधा को देखते हुए अभियान के दौरान 17.12.2021 तक, इस 30 दिवस की अवधि के प्रावधान में शिथिलता प्रदान की जाती है ।

2. उक्त शिथिलता विद्युत चोरी के प्रकरणों के साथ–साथ विद्युत दुरूपयोग से संबंधित वीसीआर प्रकरणों के अपीलीय प्रकरणों पर भी प्रभावी होगी।

3. किसानों की सुविधा हेतु कृषि विद्युत कनेक्शनों की विद्युत चोरी से संबंधित वीसीआर के मामलों में आदेश क्रमांक/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/टीए/प्रे. 185 दिनांक 25.09.2020 द्वारा निस्तारण का प्रावधान किया गया था। कृषि उपभोक्ता विकल्प के रूप में विद्युत चोरी से संबंधित राजस्व निर्धारण राशि की 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा करवाते हैं तो सक्षम कमेटी के द्वारा ही प्रकरण का पूर्ण निस्तारण कर दिया जावेगा।

4. इस अभियान के दौरान पूर्व में निस्तारित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जावेगा।

5. ऐसे प्रकरण जो किसी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं एवं उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता द्वारा प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों पर भी इस अभियान के दौरान कार्यवाही की जा सकेगी ।

6. समस्त फील्ड अधिकारी ऐसे उपभोक्ताओं/गैर उपभोक्ताओं को जिनकी वीसीआर लम्बित है लिखित नोटिस से सूचना देकर पावती सुनिश्चित करेगें जिससे कि

प्रशासन गांवों /शहरों के संग अभियान के दौरान अधिक से अधिक लम्बित प्रकरणों का निस्तारण हो सके।

उक्त आदेश अध्यक्ष डिस्कॉम्स की अनुमति से जारी किया जाता है।

आज्ञा से

(ए. के. मीना)
अधीक्षण अभियंता (आरए–सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, (   ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएंम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- M/s Bikaner Electricity Supply Company, IInd Floor, 3-K-9, Pavanpuri, Bikaner(Raj). 334001
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्राविधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (   ), जोधपुर डिस्कॉम,................................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- ....

अधीक्षण अभियंता (आरए–सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

1039